



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)



Phone 0141-2227634, E-mail: jsadmin.rdd@rajasthan.gov.in Website : rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/ग्रुप-1/2020


जयपुर, दिनांक 12 3 MAR 2020

::आदेश::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 दिनांक 22.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से समस्त प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक पूर्णतः बन्द (Lock Down) घोषित किया गया है। इस क्रम में तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह-9/2019 दिनांक 22.03.2020 के अनुरूप विभाग के समस्त ग्रुप/अनुभाग प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि बन्द के दौरान स्वयं तथा उनके द्वारा चिन्हित एवं चयनित न्यूनतम आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी/ सहायक कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित होंगे ताकि कार्यालय का रूटीन/आवश्यक कार्य प्रभावित नहीं हो। शेष अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, घर पर ही रह कर WORK FROM HOME सुनिश्चित करेंगे एवं अपने मोबाईल चालू रखेंगे ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में उनकी सेवाएं ली जा सकें।


उपर्युक्त आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, पंचायती राज प्रकोष्ठ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राजीविका, आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, बायोफ्यूल प्राधिकरण, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, सामाजिक अंकेक्षण, अरावली तथा जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों पर लागू होंगे।

समस्त विभागाध्यक्ष एवं ग्रुप/अनुभाग प्रभारी अधिकारी समस्त केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप अधिकतम प्रगति भी सुनिश्चित करेंगे तथा इस हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएँगे।

  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायती राज विभाग।
3. राज्य परियोजना प्रबंधक, राजीविका, जयपुर।
4. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायती राज विभाग।
8. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, राज. जयपुर।
10. आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण राज. जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान, जयपुर।
12. कार्यकारी निदेशक, अरावली, जयपुर।
13. समस्त ग्रुप/अनुभाग प्रभारी अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), ग्रामीण विकास को वेबसाईट पर अपलोड करने के क्रम में।
16. रक्षित पत्रावली।

  
(कैलाश चन्द मीना)  
विशिष्ट शासन सचिव